काजी अधिनियम 1880

विषय सूची

1. संक्षिप्त शीर्षक

2. किसी स्थानीय क्षेत्र में काजी नियुक्त करने की शक्ति

3. नायब काजी

4. अधिनियम में न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्तियों प्रदत्त करने अथवा काजी की उपस्थिति आवश्यक करने अथवा किसी को काजी के रूप में कार्य करने से रोकने बाबत कुछ न होना

काजी अधिनियम 1880

(1880 का 12वां अधिनियम)

1. संक्षिप्त शीर्षक- यह अधिनियम काजी अधिनियम. 1880 कहलायेगा ।

2. किसी स्थानीय क्षेत्र में काजी नियुक्त करने की शक्ति- जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र के विचार योग्य मुस्लिमों की संख्या यह इच्छा रखती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिये एक से अधिक काजियों की नियुक्ति की जानी चाहिये, राज्य सरकार, यदि यह उचित समझती है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख मुस्लिमों से विचार करने के उपरांत एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन कर सकती है एवं उसे अथवा उन्हें ऐसे स्थानीय क्षेत्र का काजी नियुक्त कर सकती है ।

यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस धारा के अन्तर्गत कोई व्यक्ति काजी सही नियुक्त किया गया है, राज्य सरकार का इस पर निर्णय निश्चयात्मक होगा ।

राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है तो धारा के अन्तर्गत नियुक्त किसी काजी को जो उसके पद के निर्वहन में किसी दुराचरण का दोषी है अथवा जो उस स्थानीय क्षेत्र से जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है । 6 माह की लगातार अवधि के लिये अनुपस्थित रहता है अथवा अन्यत्र रहने के प्रयोजन से ऐसे स्थानीय क्षेत्र को छोड़ देता है अथवा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा उसके पद से उन्मोचित होने की इच्छा करता है अथवा जो इंकार करता है अथवा राज्य सरकार की राय में अनुपयुक्त हो जाता है अथवा पद के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये व्यक्तिगत तौर पर असमर्थ हो जाता है । राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख मुसलमानों से विचार करने के उपरान्त, एक या अधिक उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर सकती है एवं उन्हें अथवा उसे ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिये काजी नियुक्त कर सकती है ।

3. नायब काजी- इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त कोई काजी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उसके स्थान पर उसका नायब अथवा नायबों के रूप में सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग जिसके लिये वह नियुक्त किया गया है के सम्बन्ध में किसी अथवा सभी मामलों में उसे स्थान पर कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है एवं ऐसे नियुक्त नायब को निलम्बित अथवा हटा सकता है ।

जब उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी काजी को निलम्बित अथवा हटाया जाता है उसके नायब अथवा नायबों (यदि कोई हो) निलम्बित अथवा हटाये जाने वाला, जैसा भी मामला हो, समझा जावेगा ।

4. अधिनियम में न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्तियों प्रदत्त करने अथवा काजी की उपस्थिति आवश्यक करने अथवा किसी को काजी के रूप में कार्य करने से रोकने बाबत कुछ न होना- यहां अन्तर्निहित किसी बात को एवं यहां की गई नियुक्ति को यह नहीं माना जावेगा-

(क) इसके अन्तर्गत नियुक्त काजी अधवा नायब काजी को कोई न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्ति प्रदान किया जाना; अथवा

(ख) किसी विवाह अनुष्ठान अथवा किसी कृत्य या कर्म को पूरा करने के लिये काजी अथवा नायब काजी की उपस्थिति को अनिवार्य करना, अथवा

(ग) किसी व्यक्ति को काजी के कार्यो को निर्वहित करने से प्रवारित करने वाली ।